न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

A.B.P. No.-3599/2025

अजय कुमार बनाम् बिहार सरकार

[भगवानपुर हाट थाना कांड संख्या 01/2024]

आदेश

06.03.2026 आवेदक/अभियुक्त **अजय कुमार उर्फ अजय कुमार राम पे0 प्रभु राम** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 3599/2025, भगवानपुर हाट थाना कांड संख्या 01/2024, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 325, 307, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0 पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता श्री जर्नादन प्रसाद सिंह एवं विपक्षी विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि दिनांक 08.11.2023 को शाम 03 बजे सूचक अपने नए मकान के नींव पर सरसो का बीज डालने गए थे। जिसका खाता नं 100 सर्वे नं0 741 रकवा 4 कट्ठा जो सूचक के पैतृक गांव में स्थित है। तभी सूचक के हक हकियत वाली जमीन पर बीज डालने से बाधा पहुंचाने हेतु उपर्युक्त सभी अभियुक्तगण नजायज मजमा कर हरवे–हथियार से लैश होकर एका–एक सूचक पर टूट पड़े। अजय कुमार राम अपने हाथ में लिए टांगी से प्रभु राम के कहने पर सर पर वार कर दिए जिसे सूचक हाथ से रोके तो जमीन पर गिर गए। इसी दौरान टांगी के पाश से वार कर दिए जिससे दाहिना पैर टूट गया एवं इसी दौरान प्रभु राम, सुरेन्द्र राम डंडा से मारने लगे। झगड़ा छुड़ाने आई कौशिल्या देवी को ज्ञान्ती देवी बाल पकड़कर पटक दी। तब फुल कुमारी देवी और नेहा देवी जमीन पर घसीटते हुए कौशिल्या देवी को लप्पड़–थप्पड़ से तीनों मिलकर मारने लगे। इसी दौरान अजय राम ने कौशिल्या देवी के गले से 40000 रूपए का सोने का चैन छीन लिए तथा मंटु राम एवं भोला राम झगड़ा छुड़ा रहे थे तब राजू राम, सूरज राम, राजा राम ने लाठी–डंडा से मारपीट किए जिससे मंटु राम एवं भोला राम भी चोटिल हो गए। रीता देवी एवं सूरज राम ने मनोज राम को गिर जाने के बाद डंडा से जान मारने की नियत से मार रहे थे। इसी प्रकार सभी लोग मिलकर मारपीट किए तथा भद्दी–भद्दी गाली दे रहे थे और जान मारने की धमकी देने लगे। कहने लगे कि केस करोगे तो जान से मार देंगे। डरे सहमे अवस्था में सूचक अपने नजदीकी अनुमंडल अस्पताल में मनोज राम को लाद कर ले गए जहां उनका एक्स–रे एवं ईलाज शुरू हुआ। ईलाज कराने के बाद मनोज राम खड़ा नहीं हो पाते है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का अतीत साफ है और अभियोजन की कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढंत है। आवेदक के खिलाफ परिवाद पत्र संख्या 2318/2023 पंजीकृत कराया गया था। उसके बाद भगवानपुर थाना कांड संख्या 01/2024 दिनांक 03.01.2024 को पंजीकृत कराया गया है। आवेदक को पुलिस द्वारा किसी भी समय गिरफ्तार किए जाने की आशंका है और धारा 307 एवं 379 भा0द0वि0 को

छोड़कर इस मामले में लागू सभी धाराएं जमानतीय है। आवेदक/अभियुक्त मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी भगवानपुर हाट थाना कांड संख्या 01/2024, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 325, 307, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 27 जख्मी के जख्म प्रतिवेदन से संबंधित है जिसकी छायाप्रति कांड दैनिकी के साथ संलग्न है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 66 के अनुसार आवेदक के खिलाफ इस मामले के अलावे अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है जबकि जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक के खिलाफ पूर्व से परिवाद पत्र पर आधारित एक मामला पंजीकृत है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध एवं कारित जख्म की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

आवेदक/अभियुक्त **अजय कुमार उर्फ अजय कुमार राम** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 438(2) द0प्र0स0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
ह0/–
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 06.03.2026